29

संख्या–27/XXIV(1)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 6 फरवरी, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–38101/5क(13)/01/2011–12, दिनांक 08.12.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण के मानक मद (12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण एवं 42–अन्य व्यय) में उपलब्ध बचतों के दृष्टिगत संलग्न पुर्नर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार रू0 30,00,000/– (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि संगत योजना में पूर्व से स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त होगी।

2. व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा मितव्ययता के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र, बी0एम0–15 के कॉलम–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग प्रपत्र के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–77(NP)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 01.02.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (निदेशक, के माध्यम से)
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
7. सष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
संख्या– 70 (NP)/XXVII(3)/2012
देहरादूनः दिनांकः 01 फरवरी, 2012

सेवा में,

महालेखाकार,
लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड,
ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।

एम0सी0जोशी
अपर सचिव, वित्त।

संख्या–27/XXIV(1)/2012. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।

प्रपत्र–बी0एम0–15 (पैरा–156)

नियंत्रक अधिकारी–सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
अनुदान संख्या–11, आयोजनेत्तर

प्रशासकीय विभाग– प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(धनराशि हजार रूपये

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1)	अभयुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2202–सामान्य शिक्षा (आयोजनेत्तर)				2202–सामान्य शिक्षा (आयोजनेत्तर)			राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक /कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की आवश्यकता है।
01–प्रारम्भिक शिक्षा				01–प्रारम्भिक शिक्षा			
101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय				101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
04–बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण				04–बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण			
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 1000	0	200	800	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 3000	6000	200	
42–अन्य व्यय 2500	0	300	2200		0	300	
सम्पूर्ण योग– 3500	0	500	3000	योग– 3000	6000	500	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्युवल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लघन नही होता है।

(आर0आर0सिंह)
अनुसचिव।